भारत सरकार
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 329
उत्तर देने की तारीख 24 जून, 2019
सोमवार, 03 □ षाढ़, 1941 (शक)

औद्योगिक इकाइयों में शिक्षुता प्रशिक्षण

†329. श्री रोड़मल नागरः श्री पी॰ पी॰ चौधरीः श्री सुधाकर तुकाराम श्रंगरेः

क्या कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक इकाइयों में शिक्षुता प्रशिक्षण के लिए प्रति प्रशिक्षु-भत्ते में वृद्धि करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में तैयार किए गए प्रस्ताव की रूपरेखा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस संबंध में सरकार का क्या दृष्टिकोण तथा क्या कार्ययोजना है?

उत्तर
कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री □ र. के. सिंह)

(क) से (ग) सरकार के विचाराधीन औद्योगिक इकाईयों में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण हेतु प्रति प्रशिक्षु भत्ता देने हेतु कोई प्रस्ताव नहीं है। हालांकि, स्थापनाएं स्वयं द्वारा रखे गए शिक्षुओं को प्रशिक्षु अधिनियम, 1961 के तहत निर्धारित की गई दर से अधिक भुगतान करने के लिए स्वतंत्र है।

****